

राजस्थान सरकार

कार्यालय प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय समूह कोटा  
क्रमांक:-प.2( )/स्था.अराज.-1/ न्यूरो.प्रोजे./यू.टी.बी./2018/1401 दिनांक: 25 जून, 2018

**कार्यालय आदेश**

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के पत्र दिनांक:-04.10.2016 के साथ संलग्न शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट (न्यूरोलोजी) की गाईड लाईन एवं उनके साथ हुये एम.ओ.यू. के अनुसार, **Statistician** को छः माह की अवधि के लिये पूर्णतया आवश्यक/अस्थाई आधार **Urgent Temporary Basis** पर फिक्स मानदेय पर भरे जाने हेतु आमंत्रित आवेदन-पत्रों की जाँच के उपरान्त दिनांक 25.06.2018 को चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थी का चयन कर अभ्यर्थी को उपस्थिति तिथी से छः माह की अवधि के लिये पूर्णतया आवश्यक/अस्थाई आधार **Urgent Temporary Basis** पर रू0 32000/- फिक्स मानदेय प्रतिमाह पर अस्थाई नियुक्ति प्रदान की जाती है। यह नियुक्ति पूर्णतया भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अध्याधीन रहेगी। चयनित अभ्यर्थी को दिनांक **30.06.2018** तक अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।

क्र.सं.	नाम अभ्यर्थी मय पिता/पति का नाम	जन्मतिथी	वर्ग	विशेष विवरण
1.	डॉ0 ए. के. जैन/श्री आर.सी.जैन	04.10.1980	सामा0	

नियुक्ति की शर्त :-

- नियुक्ति आवश्यक अस्थाई आधार (**Urgent Temporary Basis**) पर की गई है, इन्हे सेवाकाल में किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये एवं बिना कोई कारण बताये सेवा से मुक्त किया जा सकता है।
- चयनित अभ्यर्थी को तीन माह के प्रोबेशनकाल के लिये परीक्षा काल पर रखा जायेगा, सेवाये सन्तोषजनक नहीं पाये जाने अथवा प्रोजेक्ट हेतु उपयुक्त नहीं पाये जाने पर सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
- उपस्थिति तिथि से ही फिक्स मानदेय देय होगा।
- उपरोक्त नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन (पुलिस वेरिफिकेशन) एवं स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र (मेडिकल ज्यूरिस्ट से) प्रस्तुत किये जाने के अध्याधीन होगी। कर्मचारी को दिनांक **30.06.2018** तक उपस्थिति प्रस्तुत करनी होगी।
- नियुक्ति के स्थान पर पहुंचने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

*Handwritten signature*

14. 01.06.2002 के पश्चात की स्थिति में सन्तान घोषणा पत्र, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने तथा अविवाहित होने पर भविष्य में दहेज नहीं लेने, धूम्रपान/तम्बाकू का सेवन नहीं करने एवं विवाह पंजीयन अथवा विवाह न होना का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. रोस्टर पॉइन्ट ओबीसी (नॉनकिमिलेयर) के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों द्वारा उपस्थिति के समय छः माह के अन्दर जारी किया गया ओबीसी (नॉनकिमिलेयर) का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा अन्यथा नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।
16. उपस्थिति के समय घोषणा पत्र देना होगा कि "आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये समस्त शैक्षणिक एवं अन्य दस्तावेज यदि सत्यापित नहीं (संस्था द्वारा अमान्य) पाये गये तो मेरी नियुक्ति समाप्त करने एवं कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार होगा"।

३०


प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक

क्रमांक:—प.2( )/स्था.अराज.-1/ न्यूरो.प्रोजे./यू.टी.बी./2018/1401

दिनांक: 25 जून, 2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रशासनिक अधिकारी, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली
- अतिरिक्त निदेशक (प्रशा0) एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग जयपुर
- अतिरिक्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज कोटा
- अधीक्षक, एम.बी.एस/जे.के.लोन/नवीन चिकित्सालय कोटा
- प्रिंसीपल इनवेस्टीगेटर, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट, न्यूरोलोजी (विभागाध्यक्ष न्यूरोलोजी )
- अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी/अतिरिक्त निजी सचिव, मेडिकल कॉलेज कोटा
- वेतन बिल शाखा अराज0/निजीशाखा/सामान्य शाखा/लेखाशाखा/विधिशाखा, मेडिकल कॉलेज कोटा
- श्री.....को पालनार्थ
- निजी पत्रावली/कार्यालय प्रति

  
प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक